

**कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द**

क्रमांक : 40

दिनांक : 28.04.2023


**कार्यालय आदेश**

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) व (4) एवं 410 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न आदेश पारित करते हुए बमाह मई-2023 में निम्नांकित अवकाश के दिन राजसमन्द न्याय क्षेत्र की सीमाओं में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात्, जमानत आवेदन, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन एवं अन्य आवश्यक कार्यों की सुनवाई बाबत् निम्नांकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को समय 11:00 ए.एम. से 2:00 पी.एम. तक संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार रिमाण्ड ड्यूटी कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है:-

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	श्रीमती मिनाक्षी अमित चौधरी	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) राजसमंद	07.05.2023
2	श्री परिणय जोशी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा	13.05.2023
3	श्रीमती पूनम मीणा	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवगढ़	14.05.2023
4	श्री अजय मीणा	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रेलमगरा	21.05.2023
5	श्रीमती ममता मीणा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलमगरा	22.05.2023
6	श्री ब्रह्मानंद शर्मा	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीम	27.05.2023
7	श्री विजय टांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट, आमेट	28.05.2023

**निर्देश :-**

1. अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्वर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
2. **यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे, जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।**
3. नियत किए गए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें तो कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।


  
( गीता पाठक )  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
राजसमन्द

दिनांक : 28.04.2023

क्रमांक : स्था0/2023/ 318

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को भेजकर लेख है कि संबंधित थानाधिकारी को तुरंत सूचित करावें।
3. इंचार्ज, कन्ट्रोल रूम, एस.पी. कार्यालय व समस्त थानाधिकारी राजसमन्द क्षेत्र को तुरन्त प्रसारित करने हेतु।
4. **संबंधित मजिस्ट्रेट्स को सूचनार्थ एवं पालनार्थ जरिये ई-मेल।**
5. कार्यालय प्रति।

  
( गीता पाठक )  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
राजसमन्द